

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 28/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/49

प्रार्थी
लक्ष्मी इण्डिया फाइनेंस प्रा.
लिमिटेड पूर्व में कंपनी लक्ष्मी
इण्डिया फिनलीजकेप प्रा.
लिमिटेड, जरिये अधिकृत
अधिकारी श्री राजसिंह चौहान।

बनाम

1. दीपसिंह राजपूत पुत्र श्री प्रभुसिंह
राजपूत, पता- प्लॉट नं. 50, वार्ड नं.
02, गांव रूपपुरा, तहसील कुचामन
सिटी, जिला-डीडवाना-कुचामन
2. मनोज कंवर पत्नी श्री दीपसिंह राजपूत
पता- प्लॉट नं. 50, वार्ड नं. 02, गांव
रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी,
जिला-डीडवाना-कुचामन
3. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री पुसराज सिंह,
पता- बरवाला मैन मार्केट, त0-किंवसर,
जिला-डीडवाना-कुचामन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणि की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द
करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक: 04/10/23

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं
पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/
ऋणी को रुपये 1165000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) दिनांक 31.10.2021
को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में
सम्पत्ति- 1. दीपसिंह राजपूत पुत्र श्री प्रभुसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक शॉप नं.
50, अनैकान्त एनक्लेव, वार्ड नं. 02, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी जिलप
डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप
22.22 वर्गगज है, जिसके पूर्व में अनैकान्त एनक्लेव का प्लॉट नं 49, पश्चिम में- प्लोट नं. 51,
उत्तर में- जस्साराम गुर्जर का मकान एवं दक्षिण में 40 फिट चौड़ा रोड़ स्थित है। तथा मनोज
कंवर पत्नी श्री दीपसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक व्यावसायिक प्लॉट नं. 09,
खसरा नं. 3381/136, 3380/136 वार्ड नं. 02, गांव कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी,
जिला डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है
जिसका माप 28.33 वर्गगज व जिसके पूर्व में व्यावसायिक प्लॉट नं. 07.08 व पश्चिम में
व्यावसायिक प्लॉट नं 10, उत्तर में व्यावसायिक प्लॉट नं 06 तथा दक्षिण में 50 फिट का आम
रास्ता है, स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक
दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.03.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन



अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 2009991/- (अक्षरे रूपये बीस लाख नौ हजार नौ सौ इक्यानवें मात्र) दिनांक 16.05.2023 तक शेष देय व दिनांक 16.5.2023 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 20.5.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 2009991/- (अक्षरे रूपये बीस लाख नौ हजार नौ सौ इक्यानवें मात्र) दिनांक 20.05.2023 तक शेष देय व दिनांक 21.5.2023 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।


एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता की आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- 1. दीपसिंह राजपूत पुत्र श्री प्रभुसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक शॉप नं. 50, अनैकान्त एनक्लेव, वार्ड नं. 02, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी जिलप डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 22.22 वर्गगज है, जिसके पूर्व में अनैकान्त एनक्लेव का प्लॉट नं 49, पश्चिम में- प्लॉट नं. 51, उत्तर में- जस्साराम गुर्जर का मकान एवं दक्षिण में 40 फिट चौड़ा रोड़ स्थित है। 2. मनोज कंवर पत्नी श्री दीपसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक व्यावसायिक प्लॉट नं. 09, खसरा नं. 3381/136, 3380/136 वार्ड नं. 02, गांव कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 28.33 वर्गगज व जिसके पूर्व में व्यावसायिक प्लॉट नं. 07,08 व पश्चिम में व्यावसायिक प्लॉट नं 10, उत्तर में व्यावसायिक प्लॉट नं 06 तथा दक्षिण में 50 फिट का आम रास्ता है, स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रूपये 1165000/- (अक्षरे रूपये ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) दिनांक 31.10.2021 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य



जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क) उस आरित और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आरितियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में 1. दीपसिंह राजपूत पुत्र श्री प्रभुसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक शॉप नं. 50, अनैकान्त एनक्लेव, वार्ड नं. 02, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी जिलप डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जिसका माप 22.22 वर्गगज है, जिसके पूर्व में अनैकान्त एनक्लेव का प्लॉट नं 49, पश्चिम में- प्लॉट नं. 51, उत्तर में- जस्साराम गुर्जर का मकान एवं दक्षिण में 40 फिट चौड़ा रोड़ स्थित है। 2. मनोज कंवर पत्नी श्री दीपसिंह राजपूत मालिक आवासीय सम्पत्ति मालिक व्यावसायिक प्लॉट नं. 09, खसरा नं. 3381/136, 3380/136 वार्ड नं. 02, गांव कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन, जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप 28.33 वर्गगज व जिसके पूर्व में व्यावसायिक प्लॉट नं. 07,08 व पश्चिम में व्यावसायिक प्लॉट नं 10, उत्तर में व्यावसायिक प्लॉट नं 06 तथा दक्षिण में 50 फिट का आम रास्ता है, स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
डीडवाना-कुचामन